संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी विधेयक और सूचना का अधिकार विधेयक

अभी हाल ही में दिसम्बर 2004 के दौरान संसद में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये गये हैं। यह विधेयक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी विधेयक और सूचना का अधिकार विधेयक। हालांकि इन दोनों ही विधेयको का संसद में पेश किया जाना सिद्धान्ततः एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन दूर्भाग्यवश इन दोनों ही विधेयकों में कुछ इस तरह के घाल–मेंल कर दिये गये है कि वे उन सुविचारित प्रारूपों के मुकाबले कमजोर तथा प्रभावहीन स्थिति में है, जिन्हें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने तैयार कर सरकार को भेजा था। दरअसल राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने जो प्रारूप तैयार किये थे, वे देश के पैमाने पर चल रहे सूचना के अधिकार और काम के अधिकार और अभियानों की मंशा पर आधारित थे।

वर्तमान में ये दोनों विधेयक परीक्षक के तौर पर संसद की स्थाई समिति के सुपुर्द किये गये है, इस स्थिति में जरूरी है कि ऐसा दबाव बनाया जाये कि सरकार विधेयकों में किये गये घाल–मेल पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखे।

राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी विधेयक

राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी विधेयक 21, दिसम्बर 2004 को संसद में पेश किया गया था जो ग्रामीण विकास से सबद्ध संसद के स्थाई समिति के सुपुर्द किया गया है संसद में पेश किये गये विधेयक में कतिपय ऐसे घाल–मेल कर दिये गये है जो विधेयक के उस प्रारूप की मंशा के विपरीत है। जिस मंशा के साथ राष्टीय सलाकार परिषद ने इसे तैयार किया था। इसी के साथ यह विधेयक संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये उस वादे के अनुरूप भी नहीं है जिसमें कहा गया था कि सरकार प्रत्येक ग्रामीण व शहरी तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के कम से कम एक समर्थ व्यक्ति को न्यूनतम वेतन के आधार पर प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का कानूनन गारन्टी देगी।

संसद में पेश कतीपय ऐसे बिन्दु जो राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद द्वारा तयार किये गये प्रारूप के विपरीत है इस प्रकार है :–

समूचे देश में समयबद्ध विस्तार :

राष्ट्रीय सलाहकार जो प्रारूप सरकार को भेजा था उसके मुताबिक इस कानून को अत्यधिक गरीबी वाले जिलों से शुरू कर 5 साल के भीतर समुचय देश में लागू किया जाना है लेकिन संसद में पेश किये विधेयक में समूचे देश में इसे लागू करने के मामले मे कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नही की गई है इस विधेयक के अनुसार कानून ऐसे ही निश्चित क्षेत्र मे उतने ही समय विशेष के लिए लागू होगा जो सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा।

आशंका :– विधेयक में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब और कहां लागू होगा तथा एक तरह सरकार को छूट दे दी गयी है कि वह कही भी किसी भी समय रोजगार गारंटी बन्द कर सकती है।

लक्ष्य

राष्ट्रीय सलाहकार जो प्रारूप सरकार को भेजा था उसके मुताबिक सभी ग्रामीण परिवारों को रोजगार गारंटी व बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की बात थी मगर संसद में जो विधेयक पेश किया गया है उसमे सिर्फ गरीब ग्रामीण परिवारो को ही यह लाभ दिये जाने का प्रावधान है विधेयक में गरीब शब्द की परिभाषा के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग ही इसके तहत लाभान्वित होगे

आशंका :– इसमे रोजगार गारंटी के बुनायदी सिद्धान्त का ही हनन हो जायेगा क्योंकि यह गारंटी प्रत्येक उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो काम के लिए आवेदन करे।

न्यूनतम मजदूरी

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तरफ से सरकार को भेजे गये प्रारूप में कार्यक्रम के सहत शामिल व्यक्तियो को कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का प्रावधान था जबकि संसद मे पेश किये गये विधेयक इसे टाल दिया गया है, और इसके लिए अलग से मजदूरी की दर तय किये जाने की बात की गई है।

आशंका: – सरकार चाहेगी तो मनमाने तरीके से कम मजदूरी तय कर देगी परिणाम तय समुचा कार्यक्रम ही अर्थहीन हो जायेगा।

पारदर्शिता, जवाबदही और पंचायतीराज संस्थान की भूमिका

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें पंचायतीराज संस्थाओं की अहम भूमिका तय की गई थी। तथा पारदर्शिता के व्यापक प्रावधान किये गये थे। लेकिन संसद में जो विधेयक पेश किया गया है उसमें भावना को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। मसलन ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला समन्वयक पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिजवाबदेह नहीं हैं।

कार्यक्रम के तहत कराये जाने वाले कार्यों की परिभाषा

सलाहकार परिषद ने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें कार्यक्रम के तहत् ऐसे कार्यों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था जो उत्पादकता पर आधारित हो मगर विधेयक में इस सोच को संकीर्ण बना दिया गया है तथा कुछ खास किस्म के कार्यों पर ही जोर दिया गया है।

सलाहकार परिषद के प्रारूप के तहत इस कार्यक्रम में बी और सी श्रेणी की नगर पालिकाओं को भी जोडा गया था। मगर संसद में पेश विधेयक में उन्हें अलग कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक

यह विधेयक 23 दिसम्बर को संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक भी कई मामलों में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा तैयार किये गये प्रारूप से कई मामलों में भिन्न हैं।

परिषद ने जो प्रारूप तैयार किया था उसके मुताबिक केन्द्रीय कानून को केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों में लागू किये जाने की बात थी मगर संसद में पेश विधेयक में इस कानून को महज केन्द्र सरकार एवं केन्द्र शासित राज्यों तक ही सीमित कर दिया गया है।

परिषद के प्रारूप विधेयक में यह भी प्रावधान था कि जिन राज्यों में सूचना का अधिकार कानून पारित हो चुका है वहॉ भी कोई भी व्यक्ति राज्य कानून के साथ साथ केन्द्रीय कानून के तहत भी सूचनायें मांग सकता था लेकिन संसद में पेश विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है।

परिषद के प्रारूप में सूचना देने में विलम्ब करने वाले, इन्कार करने वाले या सूचनाओं में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों के लिये विभिन्न जुर्मानों का प्रावधान किया गया था। सूचना आयुक्तों को जुर्माने की राशि तय करने के लिये अधिकृत किया था। प्रावधानों के तहत सूचना देने में विलम्ब के मामले में 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की गयी थी।

अन्य मामलों में भी 2000 रूपये के जुर्माने या कारावास का प्रावधान था लेकिन सांसद में पेश विधेयक में इस स्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है।

परिषद के प्रारूप में मुख्य सूचना आयुक्त, प्रत्येक राज्य के लिये राज्य सूचना आयुक्त तथा उनके सहयोग के लिये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था लेकिन संसद में पेश विधेयक में मात्र 10 सूचना आयुक्तों तथा उपसूचना आयुक्तों की नियुक्ति का ही प्रावधान है।

परिषद के प्रारूप में सभी व्यक्तियों के लिये सूचना के अधिकार का प्रावधान था मगर विधेयक से व्यक्तियों की जगह नागरिकों का उल्लेख है यानि शरणार्थी श्रेणी के लोगों को यह अधिकार नहीं मिलेगा।

परिषद के प्रारूप में सतर्कता और सुरक्षा एजेन्सियों को कानून के दायरे से बाहर तो रखा गया था लेकिन मानवाधिकार और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित आरोपों एवं सवालों के बारे में सूचना देने की अनिवार्यता का प्रावधान था। मगर संसद में पेश विधेयक में मानवधिकार से सम्बन्धित अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

परिषद के प्रारूप में प्रावधान था कि 25 साल बाद छूटशुदा समस्त दस्तावेजों को खोल दिया जावेगा। लेकिन ससंद में पेश विधेयक में यह प्रावधान नहीं है।

परिषद के प्रारूप में यह प्रावधान था कि सूचनाओं के लिए शुल्क उनकी प्रतिलिपि की लागत से अधिक नहीं होगा। जबकि संसद में पेश विधेयक में शुल्क की राशि के निर्धारण का काम सरकार के विवेक पर छोड दिया गया है स्पष्ट है कि सरकार ऊँची शुल्क दरें निर्धारित कर कानून की भावना को आघात पहुँचा सकती हैं।